

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

ओम प्रकाश झा,
संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना
महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना
प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 18.12.2013

विषय:- बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2013

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए बिहार विनियोग(संख्या-4) विधेयक, 2013 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक: 17.12.2013 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधि विभाग ने बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम 22, 2013) को अधिसूचना संख्या-एल0जी0-1-28/2013/लेज: 216 एवं 217 (अंग्रेजी अनुवाद) दिनांक: 18.12.2013 द्वारा अधिसूचित किया है, जिसे बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या-916 दिनांक-18.12.2013 से प्रकाशित किया गया है।

2. बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या-916 दिनांक-18.12.2013 की पाँच प्रतियाँ, प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना एवं 35 प्रतियाँ महालेखाकार, ले0 एवं हक0 को तथा सभी विभागों को दो-दो प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

3. उपर्युक्त के आलोक में 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सीधे अनुसूची के माध्यम से खण्ड-2 भाग-1 में पृष्ठ सं0-1 से 118 तक में प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय किया जा सकता है। राशि का व्यय बिहार गजट की अनुसूची में प्रदर्शित प्रत्येक मांग/विनियोग के लिए राजस्व एवं पूंजी के अधिकतम राशि तक ही किया जा सकता है। अगर कोई नये उपशीर्ष में राशि प्रावधानित की गयी हो तो उस उपशीर्ष से राशि का व्यय महालेखाकार से उक्त उपशीर्ष के खोलने संबंधी सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 की द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण पुस्तिका की प्रति विभागों एवं प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) को पत्रांक: 2045 दिनांक: 09.12.2013 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है।

5. द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण से संबंधित गजट को बिहार गजट के वेबसाईट <http://egazette.nic.in/> पर देखा जा सकता है।

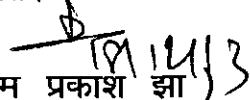
विश्वासभाजन,


(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-17/बी०एस०जी०-406/2013-2078/वि० पटना, दिनांक: 18.12.2013

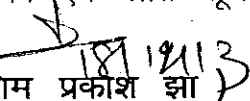
प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के सचिव/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/स्थानीय आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री के सचिव/लोकायुक्त के सचिव/सचिव, राजस्व पर्षद/महानिरीक्षक, कारा, गृह विभाग/राज्य सूचना आयोग के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के सचिव को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-17/बी०एस०जी०-406/2013-2078/वि० पटना, दिनांक: 18.12.2013

प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-17/बी०एस०जी०-406/2013-2078/वि० पटना, दिनांक: 18.12.2013

प्रतिलिपि- निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, श्रम निदेशालय, श्रम संसाधन विभाग/निदेशक, पुरातत्व निदेशालय/निदेशक, संग्रहालय निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग/निदेशक, गव्य निदेशालय/निदेशक, मत्स्य निदेशालय/निदेशक, पशुपालन निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/निदेशक, जन शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग/निदेशक,

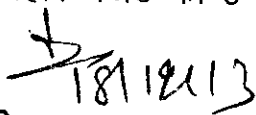
कृषि निदेशालय, कृषि विभाग/निदेशक, चकबंदी/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय/निदेशक, सर्वे निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/निदेशक, अभिलेखाकार/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, देशी चिकित्सा/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें/निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सचिव, वाणिज्य-कर न्यायधिकरण/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-17/बी0एस0जी0-406/2013-2018/वि0 पटना, दिनांक: 18.12.2013

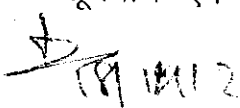
प्रतिलिपि- अभिलेखागार पदाधिकारी, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार विधान सभा पुस्तकालय/अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् पुस्तकालय को बिहार गजट की 5-5 प्रतियाँ अभिलेख संधारण हेतु प्रेषित।


(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-17/बी0एस0जी0-406/2013-2018/वि0 पटना, दिनांक: 18.12.2013

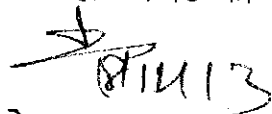
प्रतिलिपि- मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/निदेशक, प्रेस एवं स्टेशनरी/संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन/संयुक्त सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, वित्त शाखा-4 एवं 5/ संयुक्त सचिव, प्रभारी शाखा-10/संयुक्त सचिव, डाटा कोषांग/संयुक्त सचिव, कोषागार शाखा/ संयुक्त सचिव, स्थापना/संयुक्त सचिव, लेखा शाखा/ उप सचिव, लोक उद्यम ब्यूरो/ निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव(व्यय) के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, शाखा-10, 13 एवं 4 को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-17/बी0एस0जी0-406/2013-2018/वि0 पटना, दिनांक: 18.12.2013

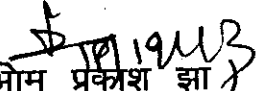
प्रतिलिपि- स्थानीय लेखा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द्र पटेल मार्ग, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-17/बी0एस0जी0-406/2013 2078/वि0 पटना, दिनांक: 18.12.2013

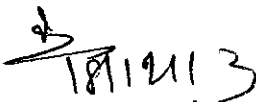
प्रतिलिपि-सरकार के अवर सचिव (बजट)/सभी अवर बजट नियंत्रक /प्रणाली विश्लेषक/ आई0 टी0 मैनेजर डाटा कोषांग को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रणाली विश्लेषक/ आई0 टी0 मैनेजर डाटा कोषांग को निदेशित किया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर डाल दें तथा सभी विभाग/जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल भी कर दें।


(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-17/बी0एस0जी0-406/2013 2078/वि0 पटना, दिनांक: 18.12.2013

प्रतिलिपि-बजट शाखा के सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सहायकगण को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ओम प्रकाश झा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 अग्रहायण 1935 (श0)
(सं0 पटना 916) पटना, बुधवार, 18 दिसम्बर 2013

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

18 दिसम्बर 2013

सं० एल0जी0-1-28/2013/लेज:216—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2013 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2013**[बिहार अधिनियम 22, 2013]**

बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ।-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 01 अप्रैल 2013 से प्रवृत्त समझा जायेगा ।

2. 2013-14 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 55,08,22,59,000 (पचपन अरब आठ करोड़ बाईस लाख उनसठ हजार) रुपये की निकासी ।-बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रैल, 2013 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 55,08,22,59,000 (पचपन अरब आठ करोड़ बाईस लाख उनसठ हजार) रुपये जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाला जा सकेगा ।

3. विनियोग-। - इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रैल, 2013 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	राजस्व	4,00,80,15,000		4,00,80,15,000
		पूंजी			
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
3	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	1,50,69,000		1,50,69,000
		पूंजी	2,08,40,00,000		2,08,40,00,000
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	90,45,000		90,45,000
		पूंजी			
5	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व			
		पूंजी			
6	निर्वाचन विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
7	निगरानी विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	1,000		1,000
		पूंजी			
9	सहकारिता विभाग	राजस्व	39,00,000		39,00,000
		पूंजी			
10	उर्जा विभाग	राजस्व	7,24,67,00,000		7,24,67,00,000
		पूंजी			
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	2,85,00,00,000		2,85,00,00,000
		पूंजी			
12	वित्त विभाग	राजस्व	3,86,26,000	1,42,82,40,000	1,46,68,66,000
		पूंजी	14,50,06,75,000		14,50,06,75,000
13	सूद भुगतान	राजस्व			
		पूंजी			
14	ऋण अदायगियां	राजस्व			
		पूंजी		11,15,33,000	11,15,33,000

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
15	पेंशन	राजस्व	5,00,000		5,00,000
		पूंजी			
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	50,20,000		50,20,000
		पूंजी			
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	5,07,27,000		5,07,27,000
		पूंजी			
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	राजस्व	1,46,33,000		1,46,33,000
		पूंजी			
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	3,53,50,000		3,53,50,000
		पूंजी			
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	2,44,79,99,000		2,44,79,99,000
		पूंजी			
22	गृह विभाग	राजस्व	12,65,19,000		12,65,19,000
		पूंजी	3,00,00,000		3,00,00,000
23	उद्योग विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	2,30,00,000		2,30,00,000
		पूंजी			
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	9,55,00,000		9,55,00,000
		पूंजी			
27	विधि विभाग	राजस्व	1,17,50,000		1,17,50,000
		पूंजी			
28	उच्च न्यायालय	राजस्व		4,00,000	4,00,000
		पूंजी			

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	2,41,22,000		2,41,22,000
		पूंजी			
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	4,00,000		4,00,000
		पूंजी			
32	विधान मंडल	राजस्व	3,90,17,000	70,00,000	4,60,17,000
		पूंजी			
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व		51,90,000	51,90,000
		पूंजी			
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	14,13,31,000		14,13,31,000
		पूंजी	2,72,00,00,000		2,72,00,00,000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व			
		पूंजी	1,44,39,00,000		1,44,39,00,000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	2,00,000		2,00,000
		पूंजी			
38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व	4,50,80,000		4,50,80,000
		पूंजी			
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	5,77,11,01,000		5,77,11,01,000
		पूंजी			
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	49,67,000		49,67,000
		पूंजी			
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	5,00,00,00,000		5,00,00,00,000
		पूंजी			
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	1,37,80,01,000		1,37,80,01,000
		पूंजी	54,00,000		54,00,000
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	2,47,17,000		2,47,17,000
		पूंजी			

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	अनधिक राशियाँ		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	39,81,80,000		39,81,80,000
		पूँजी			
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	22,59,000		22,59,000
		पूँजी	6,97,90,000		6,97,90,000
46	पर्यटन विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
47	परिवहन विभाग	राजस्व	2,23,00,000		2,23,00,000
		पूँजी			
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	1,04,76,00,000		1,04,76,00,000
		पूँजी			
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व			
		पूँजी	17,00,00,000		17,00,00,000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	1,62,45,02,000		1,62,45,02,000
		पूँजी			
योग राजस्व			32,50,61,31,000	1,44,08,30,000	33,94,69,61,000
योग पूँजी			21,02,37,65,000	11,15,33,000	21,13,52,98,000
महायोग			53,52,98,96,000	1,55,23,63,000	55,08,22,59,000

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

18 दिसम्बर 2013

सं० एल०जी०-1-28/2013/217/लेज: 1- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर 2013 को अनुमत **बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम 22, 2013)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

The 18th December 2013

THE BIHAR APPROPRIATION (NO. 4) ACT, 2013

[Bihar Act 22, 2013]

AN

ACT

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN AMOUNT FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE OF BIHAR FOR THE SERVICES DURING THE YEAR ENDING THE THIRTY FIRST DAY OF MARCH, 2014.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty fourth year of Republic of India as follows:-

1. *Short title, extent and commencement* .- (1)This Act may be called the Bihar Appropriation (No.-4) Act,2013.

(2). It shall extend to whole state of Bihar.

(3). It shall deem to have commenced from 1st April 2013.

2. Withdrawal of Rs.- 55,08,22,59,000 (Rs. Fifty Five Arab Eight Crore Twenty Two Lac Fifty Nine Thousand) out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the year 2013-14.-Total 55,08,22,59,000(Rs. Fifty five arab eight crore twenty two lac fifty nine thousand), which will not be more than the amount mentioned in column 6 of the schedule from The Consolidated Fund of The State of Bihar to meet the different expenses to be incurred related to the payment during the commencing year from 01 April, 2013 in relation to the services mentioned in column 2 of The Schedule.

3. *Appropriation*.- The amount authorized for withdrawal from and from the Consolidated Fund of the State of Bihar under this Act will be for the purposes and services

in the concerned Schedule related to the year commencing from first day of April, 2013 and will be appropriated in respect of them.

SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

Grant/ Appropriation Number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
1	Agriculture Department	Revenue	4,00,80,15,000		4,00,80,15,000
		Capital			
2	Animal and Fisheries Resource Department	Revenue			
		Capital			
3	Building Construction Department	Revenue	1,50,69,000		1,50,69,000
		Capital	2,08,40,00,000		2,08,40,00,000
4	Cabinet Secretariat Department	Revenue	90,45,000		90,45,000
		Capital			
5	Secretariat of the Governor	Revenue			
		Capital			
6	Election Department	Revenue			
		Capital			
7	Vigilance Department	Revenue			
		Capital			
8	Art, Culture and Youth Department	Revenue	1,000		1,000
		Capital			
9	Co-operative Department	Revenue	39,00,000		39,00,000
		Capital			
10	Energy Department	Revenue	7,24,67,00,000		7,24,67,00,000
		Capital			
11	BC and MBC Welfare Department	Revenue	2,85,00,00,000		2,85,00,00,000
		Capital			
12	Finance Department	Revenue	3,86,26,000	1,42,82,40,000	1,46,68,66,000
		Capital	14,50,06,75,000		14,50,06,75,000
13	Interest Payment	Revenue			
		Capital			
14	Repayment of Loans	Revenue			
		Capital		11,15,33,000	11,15,33,000
15	Pension	Revenue	5,00,000		5,00,000
		Capital			

Grant/ Appropriation Number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
16	Panchayati Raj Department	Revenue	50,20,000		50,20,000
		Capital			
17	Commercial Tax Department	Revenue			
		Capital			
18	Food and Consumer Protection Department	Revenue	5,07,27,000		5,07,27,000
		Capital			
19	Environment and Forest Department	Revenue	1,46,33,000		1,46,33,000
		Capital			
20	Health Department	Revenue	3,53,50,000		3,53,50,000
		Capital			
21	Education Department	Revenue	2,44,79,99,000		2,44,79,99,000
		Capital			
22	Home Department	Revenue	12,65,19,000		12,65,19,000
		Capital	3,00,00,000		3,00,00,000
23	Industries Department	Revenue			
		Capital			
24	Information and Public Relation Department	Revenue	2,30,00,000		2,30,00,000
		Capital			
25	Information Technology Department	Revenue			
		Capital			
26	Labour Resource Department	Revenue	9,55,00,000		9,55,00,000
		Capital			
27	Law Department	Revenue	1,17,50,000		1,17,50,000
		Capital			
28	High Court of Bihar	Revenue		4,00,000	4,00,000
		Capital			
29	Mines and Geology Department	Revenue			
		Capital			
30	Minorities Welfare Department	Revenue	2,41,22,000		2,41,22,000
		Capital			
31	Parliamentary Affairs Department	Revenue	4,00,000		4,00,000
		Capital			
32	Legislature	Revenue	3,90,17,000	70,00,000	4,60,17,000
		Capital			

Grant/ Appropriation Number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
33	General Administration Department	Revenue			
		Capital			
34	Bihar Public Service Commission	Revenue		51,90,000	51,90,000
		Capital			
35	Planning and Development Department	Revenue	14,13,31,000		14,13,31,000
		Capital	2,72,00,00,000		2,72,00,00,000
36	Public Health Engineering Department	Revenue			
		Capital	1,44,39,00,000		1,44,39,00,000
37	Rural Works Department	Revenue	2,00,000		2,00,000
		Capital			
38	Registration, Ex cise and Prohibition Department	Revenue	4,50,80,000		4,50,80,000
		Capital			
39	Disaster Management Department	Revenue	5,77,11,01,000		5,77,11,01,000
		Capital			
40	Revenue and Land Reforms Department	Revenue	49,67,000		49,67,000
		Capital			
41	Road Construction Department	Revenue	5,00,00,00,000		5,00,00,00,000
		Capital			
42	Rural Development Department	Revenue	1,37,80,01,000		1,37,80,01,000
		Capital	54,00,000		54,00,000
43	Science and Technology Department	Revenue	2,47,17,000		2,47,17,000
		Capital			
44	SC & ST Welfare Department	Revenue	39,81,80,000		39,81,80,000
		Capital			
45	Sugar Industries Department	Revenue	22,59,000		22,59,000
		Capital	6,97,90,000		6,97,90,000
46	Tourism Department	Revenue			
		Capital			
47	Transport Department	Revenue	2,23,00,000		2,23,00,000
		Capital			
48	Urban Development and Housing Department	Revenue	1,04,76,00,000		1,04,76,00,000
		Capital			

Grant/ Appropriation Number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
49	Water Resources Department	Revenue			
		Capital	17,00,00,000		17,00,00,000
50	Minor Water Resource Department	Revenue			
		Capital			
51	Social Welfare Department	Revenue	1,62,45,02,000		1,62,45,02,000
		Capital			
Total Revenue			32,50,61,31,000	1,44,08,30,000	33,94,69,61,000
Total Capital			21,02,37,65,000	11,15,33,000	21,13,52,98,000
Grand Total			53,52,98,96,000	1,55,23,63,000	55,08,22,59,000

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 916-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>